कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 212 / 1-12 देहरादून दिनांक 31 जुलाई, 2021

निस्तारण आदेश

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप 1722/1-12 (29), दिनांक 21.06.2021 द्वारा दिनांक 01.07.2021 की स्थिति पर आधारित वन दरोगाओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी थी। जारी वरिष्ठता सूची पर निम्नलिखित प्रत्यावेदन प्राप्त हुये है जिनका निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है–

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्मिक का नाम	प्रत्यावेदन का कारण	अभ्युक्ति
1	लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार	श्री अमर सिंह	वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	वनादेश संख्या 13/163, दिनांक 30.08.2003 से वरिष्ठता निर्धारित करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।
2	कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी	श्री दिनेश कुमार सिंह	नाम अंकित करने के सम्बन्ध में।	वरिष्ठता में नाम अंकित करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।
3	लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार	श्री अशोक कुमार	मौलिक नियुक्ति की तिथि संशोधित करने के सम्बन्ध में।	मौलिक नियुक्ति की तिथि 22.10.2005 से 22.09.2007 संशोधित करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तारण कर वरिष्ठता निर्धारित की गई।
4	हल्द्वानी वन प्रभाग	श्री मुनेश सिंह राणा	नाम अंकित करने के सम्बन्ध में।	वरिष्ठता में नाम अंकित करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।
5	चम्पावत वन प्रभाग	श्री चतुर सिंह	नाम एवं शैक्षिक योग्यता संशोधित करने के सम्बन्ध में	वरिष्ठता में नाम एवं शैक्षिक योग्यता संशोधित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।
6	चकराता वन प्रभाग	श्री दिगम्बर सिंह चौहान	वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	1. उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन क्षेत्राधिकारी, उपराजिक और वन दरोगा सेवा (संशोधन) नियमावली 2011 के प्रख्यापित होने की वास्तविक संशोधन तिथि 28.11.2011, जिसमें 100 प्रतिशत पदोन्नति का प्राविधान लागू हुआ, को वास्तविक पदोन्नति की तिथि माना गया है। जिसके सापेक्ष आपकी वरिष्ठता निर्धारित है। 2. वरिष्ठता सूची मौलिक नियुक्ति की तिथि (जयेष्ठता नियमावली के नियम–06) के अनुसार तैयार की गई है। 3. निर्धारित वरिष्ठता के क्रम में अग्रिम पदों पर रिक्तियों के अनुसार ही पदोन्नति की जायेगी। अतः उपरोक्तानुसार प्रतयावेदन का निस्तारण किया जाता है।
7	चकराता वन प्रभाग	श्री अनिल पंवार	कतिपय कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि संशोधित करते हुये वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	कतिपय कार्मिकों की पदोन्नति से पूर्व वन आरक्षी की वरिष्ठता का अवलोकन कर मौलिक नियुक्ति की तिथि संशोधित करते हुये वरिष्ठता निर्धारित करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।
8	राजाजी टाइगर रिजर्व	श्री गुरूदयाल सिंह	वरिष्ठता के सम्बन्ध में	पदोन्नति से पूर्व वन आरक्षी की वरिष्ठता का अवलोकन करते हुये वरिष्ठता निर्धारित कर, प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।
9	हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार	श्री अनीश कुमार सैनी	कार्यालय का नाम तथा शैक्षिक योग्यता के संशोधन के सम्बन्ध में	कार्यालय का नाम तथा शैक्षिक योग्यता संशोधित करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया।

10	देहरादून वन प्रभाग	देहरादून वन प्रभाग के पत्रांक 5190/1–12,दिनांक 24.06.2021 द्वारा प्रेषित पत्र पर अंकित कार्मिकों के नाम।	कार्यालय/जन्मतिथि/नाम/वरिष्ठताा आदि संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में	कार्यालय/जन्मतिथि/नाम में संशोधन किये गये। वरिष्ठता के सम्बन्ध में इस कार्यालय का पत्रांक–816/25–4–2, दिनांक 12.03. 2008 से जारी मैरिट लिस्ट एवं एकल परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करते हुये प्रत्यावेदन का निस्तरण किया गया।
11	कालसी भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी	श्री ज्ञान सिंह/श्री मायादत्त दत्त पाण्डेय/श्री महावीर सिंह/ श्री गम्भीर सिंह/ श्री सिन्ना सिंह	वरिष्ठता के सम्बन्ध में।	समस्त प्रत्यावेदन कर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ वन दरोगा उनके बाद पदोन्नत हुये है जिनको वरिष्ठता में उनसे वरिष्ठ दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि बाद में प्रोन्नत कार्मिकों की वन आरक्षी के पद पर मूल नियुक्ति की तिथि पर उन्हे वरिष्ठता पुनः प्राप्त (regain) होने के कारण वरिष्ठता सूची में उनका नाम ऊपर है।

तद्नुसार उपरोक्त समस्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जाता है।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या 212 /1–12 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि
1. मुख्य वन संरक्षक, निगरानी मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को अविलम्ब विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
2. पत्र में उल्लेखित समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त वन दरोगाओं (प्रत्यावेदन कर्ता), उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून